न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र. /05

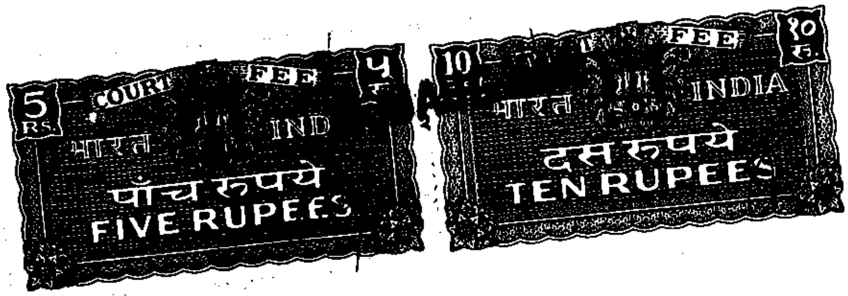

R-1280 ती/0

उमेश पाठक
अभिभाषक द्वारा
दि० 11-8-05
प्रस्तुत
11/8/05

राजकरण सिंह उम्र 62 वर्ष तनय सूर्यपाल सिंह निवासी ग्राम मुठिगवां तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0) ———— आवेदक

विरूद्ध

1- चक्रमाणि सिंह उम्र 38 वर्ष तनय स्वर्गीय इन्द्रबहादुर सिंह निवासी ग्राम मुठिगवां तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

2- म0प्र0 राज्य ———— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध निर्णय न्यायालय कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा म0प्र0 के आदेश दि0 28-6-05 मे पारित।
प्रकरण क्रमांक 301/अपील/93-94

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

1- अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28-6-05 सर्वथा विधि-विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2- अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के कंडिका 3 मे जो आवेदक के तरफ से जिन बिन्दुओं का वर्णन किया, उन बिन्दुओं के आलोक में उनके अमान्य करने का कोई कारण दिये बिना जिस प्रकार आयुक्त महोदय ने आवेदक की अपील तकनीकी आधार पर निरस्त किया, जो आदेश सर्वथा विधि-विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त

R-1280-II/05 सीधी

२२/11/16	आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक को समय-समय पर आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक अभि० के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण धारा 35(2) के तहत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [signature]	R.V. 22/11/16
[signature]		

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.